| | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | चैत्र 16, बुधवार, शाके 1944-अप्रेल 6, 2022<br>*Chaitra 16, Wednesday , Saka 1944- April 6, 2022* | |

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**
**(GROUP-II)**
NOTIFICATION
**Jaipur, April 6, 2022**

**No. F. 2(16)Vidhi/2/2022.-** The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 5th day of April, 2022 is hereby published for general information:-

**THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, 2022**

**(Act No. 9 of 2022)**

(Received the assent of the Governor on the 5th day of April, 2022)

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 90-A, Rajasthan Act No. 15 of 1956.-** In sub-section (8) of section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No.15 of 1956),-

(i) for the existing expression "where before 17th June, 1999", the expression "where before 31st December, 2021" shall be substituted; and

(ii) in proviso, the existing clauses (i) and (ii) shall be renumbered as (ii) and (iii) respectively and before the clause (ii) so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(i) nothing in this sub-section shall apply to any land in respect of which any allotment has been made or Patta given by a Housing Co-operative Society after 16th June, 1999;".

प्रवीर भटनागर,
**Principal Secretary to the Government.**

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप-2)**

अधिसूचना

**जयपुर, अप्रेल 6, 2022**

**संख्या प.2(16)विधि/2/2022.-** राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2022 (एक्ट नं. 9 ऑफ 2022)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

**राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2022**

**(2022 का अधिनियम संख्यांक 9)**

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रेल, 2022 को प्राप्त हुई)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-क का संशोधन.-** राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क की उप-धारा (8) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "17 जून, 1999 के पूर्व" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 दिसम्बर, 2018 के पूर्व" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) परन्तुक में, विद्यमान खण्ड (i) और (ii) को क्रमश: (ii) और (iii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खण्ड (ii) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> "(i) इस उप-धारा की कोई भी बात ऐसी किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी, जिसके संबंध में किसी आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा 16 जून, 1999 के पश्चात् कोई आबंटन किया गया है या पट्टा दिया गया है;"।

प्रवीर भटनागर,

**प्रमुख शासन सचिव।**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**

सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 17, गुरूवार, शाके 1944-अप्रेल 7, 2022
*Chaitra 17, Thursday , Saka 1944- April 7, 2022*

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप-2)**

**शुद्धि-पत्र**

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2022 से संबंधित अधिसूचना संख्या प.2(16)विधि/2/2022, जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4(क) में दिनांक 6 अप्रेल, 2022 को प्रकाशित की गयी थी, में निम्नांकित अशुद्धियों को शुद्ध कर पढ़ा जावे:-

| **क्र. सं.** | **सन्दर्भ** | **मुद्रित अशुद्ध अभिव्यक्ति** | **शुद्ध अभिव्यक्ति** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | पृष्ठ संख्या 2, बीसवीं एवं इक्कीसवीं (20-21वीं) पंक्ति | 31 दिसम्बर, 2018 | 31 दिसम्बर, 2021 |



राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।